न्यायालय अपर सिविल जज/न्यायिक मजिस्ट्रेट बाजपुर जिला उधम सिंह नगर।
फौजदारी वाद संख्या–828/2023
राज्य बनाम हरजीत सिंह आदि

धारा–323,504,506भा0दं0सं0।
मु0अ0सं0–218/2021
थाना बाजपुर।

दिनांक–28.07.2023

पत्रावली वादी मुकदमा की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तलबी प्रार्थना पत्र पेश करने पर तलब की गयी। राज्य की ओर से विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी श्री पंकज कुमार उपस्थित है। वादी मुकदमा मय विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी श्री पंकज कुमार व विद्वान अधिवक्ता श्री हीरा शर्मा उपस्थित एवं अभियुक्तगण कुलदीप सिंह एवं हरजीत सिंह मय विद्वान अधिवक्ता श्री सूरज शर्मा उपस्थित।

2. वादी मुकदमा एवं अभियुक्त की ओर से एक संयुक्त प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 320 दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 इस आशय का प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि उपरोक्त मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है, जिसमें समाज के कुछ भले लोगों के बीच में पड़ जाने के कारण प्रार्थीगण/मु. ल्जिमान व वादी मुकदमा का आपस में राजीनामा हो गया है। अब हम राजीनामे के बाद दोनों पक्षों में कोई निजा बाकी नहीं है। प्रार्थीगण मुकदमा आगे चलाना नहीं चाहते हैं। अंत में उपरोक्त मुकदमें की कार्यवाही राजीनामे के आधार पर समाप्त किये जाने की प्रार्थना की गयी।

3. पत्रावली के परिशीलन से विदित है कि वर्तमान में अभियुक्तगण हरजीत सिंह व कुलदीप सिंह के विरूद्ध आरोप पत्र अंतर्गत धारा 323,504,506 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में प्रेषित किया गया है। धारा 320 दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अनुसार धारा 323,504 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 का वाद पक्षकारगण के मध्य न्यायालय की अनुमति से शमन किया जा सकता है व धारा 506 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 न्यायालय की अनुमति से शमनीय है। वर्तमान वाद में स्वयं पीड़ित/वादी मुकदमा द्वारा न्यायालय में उपस्थित आकर उनके मध्य राजीनामा बिना किसी दबाव के किये जाने का कथन किया गया है। पक्षकारगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार करते हुए धारा 323,504,506 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 को शमन किये जाने हेतु अनुमति प्रदान की जाती है।

4. वादी पक्ष की पहचान विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी श्री पंकज कुमार द्वारा की गयी तथा अभियुक्तगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सूरज शर्मा उपस्थित।

5. सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

6. वर्तमान मामला अपराध अंतर्गत धारा 323,504,506 भारतीय दण्ड संहिता से संबंधित है जोकि धारा 320 दण्ड प्रक्रिया संहिता की अनुसूचि (1) व (2) के अनुसार पीडित व्यक्ति द्वारा शमनीय है जोकि वादी मुकदमा है। वादी मुकदमा जसवंत सिंह, इस मामले में वह व्यक्ति/पीड़ित है, जिनके साथ अभियुक्तगण द्वारा मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित कर गाली गलौच की गयी तथा जान से मारने की धमकी दी गई है, जो 320 दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की सारणी की सूची/कॉलम 3 के अंतर्गत शमन करने के लिए विधितः सशक्त है एवं न्यायालय द्व ारा उपरोक्त शमन हेतु अनुमति प्रदान की गयी है।

7. तद्नुसार पक्षकारगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

वादी मुकदमा एवं अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 320 दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 स्वीकार किया जाता है। फौजदारी वाद संख्या–828/2023, राज्य बनाम हरजीत सिंह आदि, मुकदमा अपराध संख्या–218/2021, थाना बाजपुर, धारा 323,504,506 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में अभियुक्त के विरूद्ध अपराध का शमन के आधार पर निस्तारण किया जाता है।

अभियुक्त को अंतर्गत धारा 323,504,506 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अपराध में धारा 320(8) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत शमन के आधार पर दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्त के दौराने विचारण निष्पादित व्यक्तिगत बंधपत्र एवं जमानतनामे निरस्त कर जामिनानों को उनके दायित्वों से उनमोचित किया जाता है।

पत्रावली नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही उपरान्त अभिलेखागार (दाण्डिक) संचित हो।

(सांची अग्रवाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट/अपर सिविल जज
बाजपुर जिला–उधमसिंह नगर।